संशोधित नियमावली

1 समिति का नाम : पं० दीन दयाल उपाध्याय शिक्षा समिति।

2 समिति का पता : ग्राम–रतनपुर बारी सहिजन, पोस्ट कुन्दा भैरोपुर तह० कादीपुर, जिला सुलतानपुर।

3. समिति का कार्यक्षेत्र : सम्पूर्ण भारतवर्ष

4. संस्था की सदस्यता तथा सदस्यों के वर्ग :

1. विशिष्ट सदस्य

जो 100000.00 (एक लाख) रुपये से अधिक की धनराशि समिति को देवेंगें वे विशिष्ट सदस्य होंगे।

2. आजीवन सदस्य

ऐसे लोग जो 50000.00 रु० की नगद की धनराशि समिति को देवेंगे वे ही समिति के आजीवन सदस्य होंगे।

3. साधारण सदस्य

ऐसे लोग जो रु० 25000.00(पच्चीसहजार) नगद की धनराशि समिति को देंगे वे समिति के साधारण सदस्य होंगें। ऐसे सदस्य का कार्यकाल मात्र 2 वर्ष होंगा।

क्षेत्रीय कार्यालय निबन्धक समितियाँ सत्यमेव जयते फैजाबाद उ०प्र०

5. सदस्यता की समाप्ति :

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

1. मृत्यु होना

2. न्यायालय द्वारा दण्डित होना।

3. नैतिक या चारित्रिक अक्षमता में लीन होना।

4. पागल या दीवालिया होना।

5. समय से सदस्यता शुल्क न देना।

6. अन्य किसी अर्नहता की सिद्ध होने पर।

6. समिति के अंग

1. साधारण सभा

2. कार्यकारिणी समिति

7. साधारण सभा

(अ) गठन समिति के सभी सदस्यों को मिलाकर साधारण सभा गठन होगा।

(1) सदस्यता ग्रहण करने के इच्छुक व्यक्ति साधरणसभा के अध्यक्ष एक प्रार्थना पत्र देगा तथा अपेक्षित धन समिति के सचिव/प्रबन्धक के पास जमा करेगा। सचिव साधरण सभा की बैठक में उपरोक्त को प्रस्तुत करेगा। साधरणसभा का निर्णय उपरोक्त के संबंध में अंतिम माना जायेगा।

क्षेत्रीय कार्यालय निबन्धक समितियाँ सत्यमेव जयते फैजाबाद उ0प्र0

2

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म सोसाइटीज तथा चिट्स
फैजाबाद (उ0 प्र0)

(2) साधारण सदस्य भी अपेक्षित धन जमा करके साधारण सभा के अध्यक्ष की अनुमति से आजीवन सम्मानित सदस्य का स्थान ग्रहण कर सकते है।

(ब) बैठक सामान्य बैठक : समिति के कार्यो के निष्पादन हेतु वर्ष में कम से कम एक बार बैठक होगी जब भी आवश्यक होगा अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष बैठक आहूत करेगा। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों के अनुपस्थिति में सचिव/प्रबन्धक बैठक आहूत करेगा।

विशेष बैठक : समिति के सदस्यों की कुल संख्या 2/3 सदस्य द्वारा लिखित मांग किए जाने की दशा में मांग पत्र प्राप्त के एक माह के अन्दर बैठक आहूत की जायेगी।

आवश्यक बैठक : आवश्यक बैठक के लिए कम से कम 3 दिनों की स्पष्ट सूचना समिति के सदस्यों को बैठक हेतु दी जायेगी।

आकस्मिक बैठक : तत्काल किसी समस्या के समाधान हेतु विशेष परिस्थितियों में सचिव/प्रबन्धक के आग्रह पर अध्यक्ष विशेष वाहक द्वारा सूचना भेजकर 24 घन्टे के अन्दर आपात बैठक कर सकता है।

(द) कोरम समिति के सदस्यों के कुल संख्या के 2/3 सदस्यों की संख्या

सत्यमेव जयते
मंडलीय कार्यालय निबन्धक समितियाँ फैजाबाद उ०प्र०

K. D. Y.

3

सत्य प्रतिलिपि
उप निबन्धक
फर्म समितियाँ तथा चिट्स
फैजाबाद (उ० प्र०)

2. संस्था के धन एवं मदों के आय–व्यय की वार्षिक आख्या तैयार करना तथा सम्परीक्षण आख्या के साथ सचिव/प्रबन्धक के समक्ष प्रस्तुत करना।

3. संस्था के सभी मदों की सामान्य देखभाल करना तथा प्रबन्ध समिति को वित्तीय नीति के संबध में उचित सलाह देना।

10. समिति के नियमों एवं विनिमयों में संशोधन प्रक्रिया :

साधारण सभा अपने 2/3 बहुमत द्वारा समिति के नियमों व विनियमों में संशोधन परिवर्धन एवं परिवर्तन कर सकेगी।

11. समिति का कोष : संस्था का कोष किसी भी राष्ट्रीयकृत बैंक में या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम खोले गये खाते में जमा किया जा सकेगा। जिसका संचालन सचिव/प्रबन्धक अपने हस्ताक्षर से करेगा।

12. समिति के आय–व्यय का लेखापरीक्षण :

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

फर्म, समितियाँ एवं चिट्स

फैजाबाद (उ० प्र०)

संस्था के आय–व्यय का लेखा–परीक्षण प्रतिवर्ष किसी (चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट) आडीटर से कराया जायेगा।

13. समिति द्वारा अथवा समिति के विरुद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व :

यदि समिति पर मुकदमा चलाती है या कोई व्यक्ति समिति पर मुकदमा चलाता है तो उसके पक्ष–विपक्ष की पैरवी का उत्तरदायित्व सचिव / प्रबन्धक पर होगा।

14. समिति के अभिलेख 1. सदस्यता रजिस्टर

2. कार्यवाही रजिस्टर

3. स्टाफ रजिस्टर

4. कैशबुक आदि

15. समिति के विघटन और विघटित सम्पत्ति क निस्तरण की कार्यवाही सोसाइटी रजिस्ट्रेशन अधिनियम की धारा 13 व 14 के अन्तर्गत की जायेगी।

K.D.U.

सत्य प्रतिलिपि

उप निबन्धक

फर्म समितियां तथा चिट्स

फैजाबाद

प्रतिलिपि कर्ता

प्रदान कर्ता